

मध्य प्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 04/04/2019

क्रमांक एफ-3(ए)142/2013/ए-1/दो  
प्रति,

पुलिस अधीक्षक  
जिला-इन्दौर  
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठाकन/निवासवृद्धि पाक नागरिको- श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ओचीराम 2. कबिर पुत्र श्री अशोक कुमार 3. मोना पत्नी श्री अशोक कुमार 4. श्री पारस पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी जिला इंदौर।  
संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2019(627/19) दि.12.03.2019

—00—

पाक नागरिको श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ओचीराम 2. कबिर पुत्र श्री अशोक कुमार 3. मोना पत्नी श्री अशोक कुमार 4. श्री पारस पुत्र श्री अशोक कुमार को 90 दिन दिनांक 03.07.2019. तक वापसी पृष्ठाकन स्वीकृत किया जाता है। पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

- 1 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ओचीराम पारपत्र क्रमांक AA-3582422
- 2 कबिर पुत्र श्री अशोक कुमार पारपत्र क्रमांक KH-645782
- 3 मोना पत्नी श्री अशोक कुमार पारपत्र क्रमांक KH-645763
- 4 श्री पारस पुत्र श्री अशोक कुमार पारपत्र क्रमांक KH-645781

संलग्न: उपरोक्तानुसार

नोट:- पाक नागरिको श्री अशोक कुमार के दिनांक 09.05.2012 से 29.09.2012 तक एवं दिनांक 17.01.2014 से 28.09.2014 तक तथा दिनांक 30.09.2015 से 29.09.2017 तक 2. श्री कबिर के दिनांक 05.07.2014 से 29.09.2018 तक 2. श्रीमती मोना के दिनांक 29.09.2012 से 29.09.2013 तक एवं दिनांक 05.07.2014 से 29.09.2018 4. श्री पारस के दिनांक 05.07.2014 से 29.09.2018 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है।

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

भोपाल, दिनांक 04/04/2019

क्रमांक एफ-3(ए)142/2013/ए-1/दो-  
प्रतिलिपि:-

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2019-20 (101)दि.01.04.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आवेदक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ओचीराम निवासी 237 सचिदानंद नगर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेट करने हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह (पारपत्र)विभाग

